न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 116/2019

1 भागीरथ पुत्र बिड़दूराम जाति जाट निवासी ठिकरिया तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सुरजमल पुत्र बोदूराम।
2 भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।
3 जयचन्द पुत्र रामेश्वर।
4 रामनारायण पुत्र रूघा।
4/1 महेन्द्र पुत्र रामनारायण।
4/2 कृष्ण कुमार पुत्र रामनारायण।
4/3 गोपाल पुत्र रामनारायण।
4/4 सन्तोष पुत्री रामनारायण।
4/5 सरिता देवी पुत्री रामनारायण।
4/6 मनीष देवी पुत्री रामनारायण।
5 देबूराम उर्फ देवी सहाय पुत्र रूघा।
6 गणपत पुत्र दूला उर्फ रूघा।
7/1 राजपाल पुत्र धूड़ा।
7/2 सीताराम पुत्र धूड़ा।
7/3 भागली देवी पत्नी धूड़ा।
8 मूला पुत्र दूला उर्फ रूघा।
9 जगदीश पुत्र सुण्डा।
10 रामकुमार पुत्र सुण्डा।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

11 रामसहाय पुत्र भानाराम।
12 रामजीलाल पुत्र भानाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ठिकरियां तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13.06.2019
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना मुकदमा
नम्बर 64/2006 बउनवानी भागीरथ बनाम सुरजाराम
दावा बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा।

अपील संख्या 117/2019

1 भागीरथ पुत्र बिड़दूराम जाति जाट निवासी ठिकरिया तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सुरजमल पुत्र बोदूराम।
2 भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।
3 जयचन्द पुत्र रामेश्वर।
4 रामनारायण पुत्र रूघा।
4/1 महेन्द्र पुत्र रामनारायण।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

4/2 कृष्ण कुमार पुत्र रामनारायण।
4/3 गोपाल पुत्र रामनारायण।
4/4 सन्तोष पुत्री रामनारायण।
4/5 सरिता देवी पुत्री रामनारायण।
4/6 मनीष देवी पुत्री रामनारायण।
5 देबूराम उर्फ देवी सहाय पुत्र रूघा।
6 गणपत पुत्र दूला उर्फ रूघा।
7/1 राजपाल पुत्र धूड़ा।
7/2 सीताराम पुत्र धूड़ा।
7/3 भागली देवी पत्नी धूड़ा।
8 मूला पुत्र दूला उर्फ रूघा।
9 जगदीश पुत्र सुण्डा।
10 रामकुमार पुत्र सुण्डा।
11 रामसहाय पुत्र भानाराम।
12 रामजीलाल पुत्र भानाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ठिकरियां तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व अन्तिम डिक्री दिनांक 22.10.2019
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना मुकदमा
नम्बर 64/2006 बउनवानी भागीरथ बनाम सुरजाराम
दावा बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा।

उपस्थिति :

1. श्री सुखदेव सिंह महला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री पुरूषोतम शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
4. श्री भींवाराम मील, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

–निर्णय–

दिनांकः–10.12.2021

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 64/2006 में पारित निर्णय प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.06.2019 एवं अंतिम डिक्री 22.10.2019के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनो पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट की ओर से रेस्पोडेंट के विरूद्व भूमि खसरा नम्बर 845,846,852,853, 884,885,886,887,888,889,896 तन ग्राम ठिकरिया तहसील नीमकाथाना बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया । पक्षकारो ने विचारण न्यायालय में राजीनामा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने राजीनामे के तथ्यों के विरूद्व विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री पारित कर दी। विचाराधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट को उनके अधिवक्ता ने नही दी। इस पर जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने राजीनामे के तथ्यों के विपरित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री पारित कर अपीलांट की 0.10 हैक्टेयर भूमि कम कर दी है। विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन प्रस्ताव भी मौके की स्थिति के विपरित तैयार किये गये है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट ने प्राथमिक आपत्ति भी प्रस्तुत की थी। इसका भी विधि सम्मत रूप से निस्तारण नही किया गया है। राजीनामे के अनुसार रेस्पोडेंट संख्या 11 व 12 को मुख्य सड़क से लगती हुई भूमि दी जानी थी। विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर विधिक त्रुटि की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामे पर सभी पक्षकारों के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हस्ताक्षर नही है। यहां यह भी विचारणीय है कि राजीनामे के आधार पर अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व पक्षकार द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने के पश्चात राजीनामे को निर्णय का आधार नही बनाया जा सकता है। अत अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि पक्षकारों के मध्य खातेदारी एवं हक हिस्से का कोई विवाद नही है। दिनांक 20.06.2018 को पक्षकारो के मध्य राजीनामा मय नजरी नक्शा विचारण न्यायालय में पेश हुआ है। इसी अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। अत अपील पोषणीय नही है। विचारण न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव पर प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा रास्ते का प्रावधान रखते हुये मुताबिक राजीनामा विभाजन किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने राजीनामे के तथ्यों के विपरित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री पारित कर अपीलांट की 0.10 हैक्टेयर भूमि कम कर दी है। विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन प्रस्ताव भी मौके की स्थिति के विपरित तैयार किये गये है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट ने प्राथमिक आपत्ति भी प्रस्तुत की थी। इसका भी विधि सम्मत रूप से निस्तारण नही किया गया है। राजीनामे के अनुसार रेस्पोडेंट संख्या 11 व 12 को मुख्य सड़क से लगती हुई भूमि दी जानी थी। विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर विधिक त्रुटि की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामे पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर नही है। यहां यह भी विचारणीय है कि राजीनामे के आधार पर अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व पक्षकार द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने के पश्चात राजीनामे को निर्णय का आधार नही बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

माना जा सकता है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को अपास्त किया जाता हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पक्षकारों के मध्य विभाजन के सन्दर्भ में सहमती नही होने की स्थिति में विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस विभाजन की प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.01.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर